बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक 24-8 2017

पत्रांक–3/एम०–15/2015सा०प्र० 10878/सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के आदेश ज्ञापांक–8/आर० 1–303/84का०–541 दिनांक–11 जनवरी, 1991 द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जाने वाली उपाधियों, यथा–प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार (स्नातक के समकक्ष) को क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष कतिपय शर्त्तों के अधीन मान्यता प्रदान की गयी थी।

2. हिन्दी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त "साहित्यालंकार" की उपाधि की मान्यता के संबंध में सी०डब्लू०जे०सी०सं०– 13343/2011 में दिनांक– 07.05.2012 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक– 5267 दिनांक 08.04.2016 द्वारा निम्नांकित निर्णय अधिसूचित किया गया:

"सी०डब्लू०जे०सी०नं०– 13343/2011 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित दिनांक–07.05.2012 के समुक्तियों **(Observation)** एवं न्यायादेश के आलोक में समुचित विचारोपरांत हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों की मान्यता संबंधी विभागीय आदेश ज्ञापांक– 8/आर० 1–303/84का०– 541 दिनांक–11 जनवरी, 1991 को उक्त न्यायादेश की तिथि अर्थात् दिनांक–07.05.2012 से निरस्त किया जाता है। उक्त तिथि से पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों के आधार पर की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

3. उक्त निर्णय के संबंध में कतिपय विभागों से दिनांक 07.05.2012 के पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों के आधार पर दिनांक 07.05.2012 से अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि 08.04.2016 के बीच की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति के संबंध में स्पष्ट दिशा निदेश उपलब्ध कराने का अनुरोध प्राप्त हुआ।

4. प्रासंगिक मामले में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"Thus in my opinion, the clause simply means that appointments/promotions made/given on the basis of certificates issued by Hindi Vidyapeeth, Deoghar prior to 07.05.2012 until the issuance of the notification by the G.A.D. dated 08.04.2016 shall not be affected.

This also makes clear that no further appointments/promotions can be given on the basis of certificates granted by Hindi Vidyapeeth, Deoghar treating it equivalent to Matric, I.A. and B.A."

कृ०पृ०उ०

5. अतः सम्यक् विचारोपरांत स्पष्ट किया जाता है कि **"हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिनांक– 07.05.2012 से पूर्व प्रदत्त उपाधियों के आधार पर दिनांक 07.05.2012 से अधिसूचना ज्ञापांक– 5267 दिनांक– 08.04.2016 निर्गत होने के बीच (अर्थात् दिनांक 08.04.2016 तक) की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति उक्त अधिसूचना से अप्रभावित रहेगी। परन्तु दिनांक 08.04.2016 के पश्चात् उक्त उपाधियों के आधार पर कोई नियुक्ति/प्रोन्नति नहीं की जा सकेगी"।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र राम) 24/8/17
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या –3 /एम०– 15/2015सा०प्र० 10878/पटना–15, दिनांक 24-8 2017

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 24/8/17
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या –3 /एम०– 15/2015सा०प्र० 10878/पटना–15, दिनांक 24-8 2017

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिपार्ड, वाल्मि, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 24/8/17
सरकार के अपर सचिव